

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

13

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)
पत्रांक : 3813 / वाद सं० सी-0958 / एस-05 / 2022

दिनांक: 4-3-2023

श्री नूर हसन/गुलाम सबीर,
नथूवावाला, निकट नागराज मन्दिर,
देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 05 बीघा भूमि पर भू-विन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0958 / एस-05 / 2022 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 16.09.2022 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 19.09.22 को चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा स्थल पर उपरोक्त अनाधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.09.2022 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र मय सर्वे प्लान प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि पाँच भाईयों में बराबर बँटी गयी है। विपक्षी को सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियां नियत की गयीं नियत तिथियों पर विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की आख्यानानुसार स्थल पर विपक्षी द्वारा वर्तमान में लगभग आधा बीघा भूमि पर 03 फीट ऊँचाई तक बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य किया गया है, तथा अन्य भूमि पर लगातार ईंट सीमेंट की मदद से चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है एवं विपक्षी के विरुद्ध प्राधिकरण में बार-2 शिकायतें प्राप्त हो रही है। विपक्षी द्वारा अनाधिकृत निर्माण/प्लाटिंग के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये गये। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद के संबन्ध में विपक्षी को कोई रुचि नहीं है, एवं विपक्षी इस संबन्ध में कुछ नहीं कहना है। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लाटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

अतः विपक्षी श्री नूर हसन/गुलाम सबीर, नथूवावाला, निकट नागराज मन्दिर, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर लगभग 05 बीघा भूमि पर भू-विन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी नोटिस जारी होने के 15 दिन के अन्दर ध्वस्तीकरण कार्यवाही को सम्पादित करते हुये इस कार्यालय में अवगत कराये। निर्धारित अवधि में विपक्षी द्वारा उक्त अवैध निर्माण/प्लाटिंग को ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा स्वयं अपने स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिस पर होने वाला सम्पूर्ण हर्जा-खर्चा आपसे भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा। तदनुसार सूचित हो।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।